संख्याः 1861 / XV-1/24/1(8)/22/32017

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 26 नवम्बर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को द्वितीय किश्त के रूप में राजकीय अनुदान अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2614–16 UAWB(52 TOP)/2023–24 दिनांक 06 नवम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–07–गौ सदनों का संचालन–42–अन्य विभागीय व्यय में अवशेष कुल धनराशि रू0 14,57,96,000 **(रू0 चौदह करोड़ सतावन लाख छियानवे हजार मात्र)** एवं प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि रू0 5,00,00000 **(रू0 पांच करोड मात्र)** अर्थात कुल उपलब्ध बजट रू0 **रू0 19,57,96,000 (रू0 उनीस करोड़ सतावन लाख छियानवे हजार मात्र)** के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में कुल धनराशि **रू0 19,57,96,000 (रू0 उन्नीस करोड़ सतावन लाख छियानवे हजार मात्र)** का राजकीय अनुदान मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को रू0 80/–प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण–पोषण मद में निम्न तालिकानुसार निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

जनपद का नाम	द्वितीय किश्त के रुप में अवमुक्त धनराशि (रू0 में)
देहरूदून	3,25,93,165.00
हरिद्वार	4,31,55,840.00
पौडी	1,88,40,640.00
टिहरी	80,14,000.00
उत्तरकाशी	49,14,080.00
चमोली	23,00,480.00
अल्मोडा	37,77,280.00
नैनीताल	3,48,25,360.00
बागेश्वर	22,27,680.00
पिथौरागढ़	21,11,200.00
चमपावत	82,70,080.00
ऊधमसिंहनगर	3,47,66,195.00
कुल योग	19,57,96,000.00 (रू0 उन्नीस करोड़ सतावन लाख छियानवे हजार मात्र)

1. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
4. वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।
5. बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा बी0एम0–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।
6. प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेख जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।
7. स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरूपयोग/दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर जिलाधिकारी एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।
8. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं संस्था के निकटतम पशुचिकित्साधिकारी द्वारा संस्था में रखे गये निराश्रित गोवंश की संख्या का भौतिक सत्यापन/जांच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित संस्था द्वारा गोसदन में रखे गये निराश्रित पशुओं के भरण पोषण में ही किया जा रहा है तथा किसी भी स्तर पर स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। जनपद स्तर पर यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही पायी जाती है तो संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
9. पशुकल्याण बोर्ड एवं इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये तथा वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमों/प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
13. सचिव, पशुकल्याण बोर्ड गोसदनों में शरणागत निराश्रित गोवंश के सम्बन्ध में जनपदवार अपेक्षित अनुदान की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित

समिति को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–07–गौसदनों का संचालन–42–अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Rajendra Kumar Bhatt
Date: 26-11-2024 16:32:12

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्याः 1861 (1)/XV-1/23/1(8)22/32017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/ कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
7. गाई फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Karam Ram
Date: 26-11-2024 17:58:16

(करम राम)
अनुसचिव